दिनांक 08.05.2026 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

पावर हाउस क्षेत्र में सड़क बाधा और गंदगी फैलाने वालों पर निगम की कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-03 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत पावर हाउस क्षेत्र में सड़क बाधित कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों एवं फल ठेला संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। निगम की टीम द्वारा सड़क एवं आसपास गंदगी फैलाने वालों, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों तथा कबाड़ी व्यवसाय के माध्यम से गंदगी फैलाने वालो पर भी सख्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों से सड़क बाधा उत्पन्न करने एवं गंदगी फैलाने के आरोप में कुल 4400 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। निगम अधिकारियों ने संबंधितों को समझाइश देते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा सड़क बाधा या गंदगी फैलाते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा लगातार शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा स्वच्छता व्यवस्था बेहतर करने अभियान चलाया जा रहा है। पावर हाउस क्षेत्र शहर का व्यस्ततम इलाका होने के कारण यहां सड़क पर अतिक्रमण एवं गंदगी फैलाने से आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक चुड़ामणी यादव, तोड़फोड़ प्रभारी हरिओम गुप्ता सहित निगम की टीम उपस्थित रही।